332

राजस्थान सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
प्रशासनिक सुधार (प्रशिक्षण प्रकोष्ठ) विभाग
(ह.च.मा. रीपा)

क्रमांकःएफ.4(3)प्रसु/प्रप्र/प्लान/रीपा/83/16168 जयपुर, दिनांक 15 मार्च 2010

निदेशक
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जयपुर

विषय :– अतिथि वक्ताओं को विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में वार्ता/सम्भाषण हेतु देय मानदेय के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अतिथि वक्ताओं को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वार्ता/सम्भाषण हेतु देय मानदेय के संबंध में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ.4(3)प्रसु/प्रप्र/प्लान/रीपा/83/18636–55 दिनांक 7–1–2009 के अतिक्रमण में मुझे राज्यपाल महोदय की यह स्वीकृति भिजवाने के निर्देश हुऐ है कि हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर एवं इसके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में संचालित किये जाने वाले सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं, सेमीनारों एवं अन्य विशिष्ट श्रेणी के कार्यक्रमों में आमंत्रित अतिथि वक्ताओं को प्रति सत्र (90 मिनिट की अवधि) के लिये निम्नानुसार मानदेय का भुगतान किया जावे :–

क्र.सं.	विवरण	देय मानदेय की दर
1	2	3
1.	हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आमंत्रित अतिथि वक्तागणों के लिये	रू. 700 (रू. सात सौ मात्र)
2.	हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं कोटा स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आमंत्रित अतिथि वक्तागणों के लिये	रू. 500 (रू. पॉच सौ मात्र)

मानेदय की उपरोक्त दरें दिनांक 1 अप्रैल 2010 से प्रभावशील होगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 101000710 दिनांक 3–3–2010 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

(अनिल कुमार चपलोत)
शासन उप सचिव (प्रशिक्षण)